प्रेस-नोट

दिनांक 21.11.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इनामिया हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-272/2024, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 15 हजार रूयए का इनामिया हत्याभियुक्त- 01. अनिल उर्फ मो0 अनश पुत्र मो0 सलमान निवासी ग्राम पुरैनी थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2024 समय 19.05 बजे को एक महिला द्वारा थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना दी गई की उसने अपना मकान 05 माह पूर्व किराये पर दिया था उसमें से दुर्गन्ध होने पर जाकर देखा तो किराये पर रह रही महिला का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डाग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। शव के शिनाख्त हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार प्रसार के क्रम में रविशंकर पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम पकड़ीतर मौजा अब्दालपुर थाना सोराव प्रयागराज ने शव की शिनाख्त अपने पत्नी के रूप में की गयी। मृतक के पति रविशंकर की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0-272/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अनिल उर्फ मो0अनश के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000/-का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था ।जिसके क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के हत्याभियुक्त 01. अनिल उर्फ मो0 अनश पुत्र मो0 सलमान निवासी ग्राम पुरैनी थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उमा देवी के पति रविशंकर वर्ष 2023 में जेल गया था जिससे उमा देवी अपने माँ के घर रहती थी । अभियुक्त अनिल उर्फ मो0अनश का उमा देवी के माँ के घर आना जाना रहता था। उसी दौरान

अभियुक्त का मुलाकात उमा देवी से हुई जहाँ से दोनो में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और दोनो शादी करके थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के शिवदयालगंज बाजार क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर अयोध्या में मेहनत मजदूरी करते थे। दोनो से 11 माह की एक पुत्री थी। चुकि अभियुक्त पहले से शादी शुदा था जिनसे 03 बच्चे थे अभियुक्त की इच्छा दोनो पत्नी को एक साथ घर पर रखने की थी परन्तु उमा देवी तैयार नही थी इस बात को लेकर उमा देवी से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दिनांक 20.08.2024 को इसी बात को लेकर पुनः झगड़ा हुआ तो अभियुक्त उमा देवी का सर दिवार से लड़ा दिया जिससे सर में गम्भीर चोट लग गई थी। ज्यादा गुस्सा होने के कारण पास में रखे चाकू से उमा देवी के पेट में मार दिया जिससे उमा देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और अपनी 11 माह की बच्ची को लेकर पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिल उर्फ मो0 अनश पुत्र मो0 सलमान निवासी ग्राम पुरैनी थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-272/24, धारा 103(1) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. आलाकत्ल चाकू बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री निर्भय नरायण सिंह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय
03. हे0का0 देशदीप गिरि
04. म0का0 निधि सिंह
05. म0का0 नीलू सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.11.2024, थाना को0नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत घर के अन्दर घुसकर चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का इनवर्टर व स्टेबलाइजर बरामद-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्व श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 882/2024 धारा 305, 331(4) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. शहजादे उर्फ बाबू पुत्र रईश निवासी मो0काशीराम कालोनी, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को कटहा घाट बनवरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद इनवर्टर व 01 अदद स्टेबलाइजर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी वीरेन्द्र कृष्ण गुप्ता पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी मो0 मेवातियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 20.11.2024 को थाना को0नगर पर सूचना दिया कि वह अपने लड़के के देखभाल व इलाज कराने हाथरस गया था कि अज्ञात चोरो द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर ले गये, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0- 882/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई था। आज दिनांक 21.11.2024 को थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान तकनीकी व मैनुआल साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. शहजादे उर्फ बाबू पुत्र रईश निवासी मो0काशीराम कालोनी, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को कटहा घाट बनवरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद इनवर्टर व 01 अदद स्टेबलाइजर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. शहजादे उर्फ बाबू पुत्र रईश निवासी मोहल्ला काशीराम कालोनी, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 882/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना को0नगर, जनपद- गोंडा।

बरामदगी-
01. 01 अदद इनवर्टर
02. 01 अदद स्टेबलाइजर बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता

02. का0 आदर्श तिवारी
03. का0 बृजमोहन लाल

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 21.11.2024, थाना को0देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात क्षेत्र के अन्तर्गत शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के 03 आरोपीयों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 34,800/- रूपये बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्व श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 489/2024 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तों- 01. गणेश कुमार जायसवाल, 02. सोमनाथ उर्फ द्दन, 03. हरिशंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर से चोरी का 34,800/- रूपये बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी रवि प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 19.11.2024 को थाना को0देहात पर सूचना दिया कि उसका देशी शराब की लाइसेंसी दुकान मण्डप चौराहा के पास खरगूचाँदपुर में स्थित है जहाँ गणेश कुमार जायसवाल सेल्समैन का काम करता है तथा बिक्रीका पैसा हिसाब करने के बाद प्रत्येक अगले दिन ले जाता है। दिनांक 18/19.11.2024 की रात्रि में सेल्समैन गणेश कुमार जायसवाल दुकान क पीछे बने कमरे में सो रहा था की शराब की दुकान का ताला खोलकर रूपये चोरी कर लिया गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 489/2024 धारा 305 बीएनएस बनाम बइस्तवाह गणेश कुमार आदि 03 के अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई था। आज दिनांक 21.11.2024 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान पूछताछ व अन्य प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अभियुक्त- 01. गणेश कुमार जायसवाल, 02. सोमनाथ उर्फ द्दन, 03. हरिशंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर से चोरी का 34,800/- रूपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना के दिन अभियुक्त गणेश कुमार (वर्तमान सेल्समैन), सोमनाथ उर्फ द्दन(पूर्व सेल्समैन) व उसका साथी हरिशंकर दुकान के पीछे बने कमरे में साथ बैठकर शराब पीये। चुकि सोमनाथ पूर्व में सेल्समैन का काम कर चुँका था और वहाँ के बारे में भँली भाती जानता था। शराब की नशे में तीनों ने मिलकर उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. गणेश कुमार जायसवाल पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम शाहपुर बरा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती।
02. सोमनाथ उर्फ द्दन पुत्र प्रताप नरायन निवासीग्राम किला मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
03. हरिशंकर मिश्रा पुत्र मनोज कुमार निवासीग्राम किला मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 489/2024 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद- गोंडा।

<u>बरामदगी-</u>

01. चोरी का 34800/- नगद बरामद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 विजय बहादुर
02. हे0का0 चन्द्रकेश भाष्कर
03. हे0का0 शत्रुधन मौर्या

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>